न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकार : श्री लाखाराम, आर.ए.एस.

आवेदन संख्या : 08 / 2022

प्रार्थीगण

1. चुतरा पुत्र जेठा उम्र 56 वर्ष
2. आम्बा पुत्र जेठा उम्र 47 वर्ष
3. दमा पुत्र जेठा उम्र 43 वर्ष
4. रूखमणा पुत्र जेठा उम्र 40 वर्ष
5. पुरखाराम पुत्र नरसींगाराम उम्र 45वर्ष
6. रूखमणराम पुत्र नरसींगाराम उम्र 43वर्ष
7. मेहराराम पुत्र नरसींगाराम उम्र 39 वर्ष
8. बाबुराम पुत्र पेमाराम उम्र 45 वर्ष
9. अमेदराम पुत्र पेमाराम उम्र 30 वर्ष
10. खेताराम पुत्र पेमाराम उम्र 28 वर्ष
11. चनणाराम पुत्र पेमाराम उम्र 25 वर्ष
12. चम्पा पत्नी धीरा उम्र 60 वर्ष
13. कुंभाराम पुत्र धीरा उम्र 30 वर्ष
14. अचला पुत्र धीरा उम्र 28 वर्ष
15. हेमाराम पुत्र मालाराम उम्र 75 वर्ष

सभी जातियान–जाट, निवासी मेघवालों का तला (शौभाला जैतमाल), तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. पेहलाद पुत्र आसु उम्र 40 वर्ष
2. खेमा पुत्र आसु उम्र 35 वर्ष
3. लुम्बा पुत्र आसु उम्र 32 वर्ष
4. लाधू पत्नी आसु उम्र 55 वर्ष
5. चुना पुत्र जगमाल उम्र 67 वर्ष
6. रामाराम पुत्र अचलाराम उम्र 65 वर्ष
7. खेराज पुत्र अचला उम्र 60 वर्ष
8. मानाराम पुत्र करना उम्र 60 वर्ष
9. खेमाराम पुत्र पुरखा उम्र 50 वर्ष
10. चुना पुत्र पुरखा उम्र...... वर्ष
11. पेमा पुत्र पुरखा उम्र 60 वर्ष
12. रामा पुत्र पुरखा उम्र 65 वर्ष
13. लुम्बा पुत्र पुरखा उम्र 55 वर्ष

    सभी जातियान जाट

14. कमला देवी पत्नी भीखाराम उम्र 60वर्ष
15. किशोर पुत्र पिरताराम उम्र 20 वर्ष
16. खेताराम पुत्र दलाराम उम्र 48 वर्ष
17. गंगादेवी पत्नी पिरताराम उम्र 42 वर्ष
18. जेठाराम पुत्र दलाराम उम्र 50 वर्ष
19. देवाराम पुत्र पिरताराम उम्र 24 वर्ष
20. दीवान पुत्र भीखाराम उम्र 30 वर्ष
21. धन्नाराम पुत्र दलाराम उम्र 56 वर्ष
22. बसंती पुत्री पिरताराम उम्र 20 वर्ष
23. मदन पुत्र भीखाराम उम्र 23 वर्ष
24. रणजीत पुत्र दलाराम उम्र 45 वर्ष
25. लक्ष्मी पुत्री पिरताराम उम्र 22 वर्ष
26. शंकर पुत्र दलाराम उम्र 38 वर्ष
27. सोनु पुत्र भीखाराम उम्र 25 वर्ष
28. सोनी देवी पत्नी पूनमाराम उम्र 70 वर्ष

    सभी जातियान सांसी

सभी निवासियान मेघवालों का ताला, पटवारी हल्का शौभाला जैतमाल, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

29. तहसीलदार, धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.01.30 15:19:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 18/01/2022

अधिवक्तागण :–

1. श्री गंगाराम विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 6 ता 7

06/12/22

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 06/12/2022

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गंगाराम विश्नोई द्वारा एक राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत की भूमि खसरा सं. 401/9 रकबा 4.8562 हैक्टेयर मौजा मेघवालों का तला पटवार क्षेत्र शौभाला जैतमाल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उड़ासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। नकल चालू जमाबंदी साथ पेश है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच में बरसात के समय एवं अन्य प्राकृतिक पैदावार लेते वक्त खेतों के सेढ़ों के संबंध में तनाजा एवं विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण हर समय प्रार्थीगण के खेत के सेढ़े को आगे पीछे करते रहते हैं तथा मना करने पर प्रार्थीगण के साथ लड़ाई–झगड़ा कर मारपीट करने पर उतारू रहते हैं। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के उपरोक्त खातेदारी की भूमि में जबरन प्रवेश कर अधिक भूमि पर काश्त कर लेते हैं तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि पर समय पर काश्त नहीं करने देते हैं जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि पर समय पर काश्त नहीं करने देते हैं जिससे प्रार्थीगण को आर्थिक क्षति होती है। प्रार्थी विप्रार्थीगण से हमेशा के लिए भूमि के सेढ़ों बाबत् विवाद से बचने के लिए अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है, जिस हेतु यह आवेदन पेश है। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए कई बार हल्का पटवारी व हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक ने विवाद अधिक होने के कारण नेखमबंदी का आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण नेखमबंदी संबंधी सामग्री मौके पर उपलब्ध करने एवं नेखमबंदी की नियमानुसार फीस अदा करने को तैयार है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिए रजि. डाक तलब किया गया, अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 01 ता 28 को भेजे गए रजि. नोटिसों की डाक रसीदें पेश की। अप्रार्थी सं. 01 ता 28 बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 7 व 8 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का पेश करने पर इनके विरुद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को अपास्त किया गया तथा इनके जवाब को रिकॉर्ड पर लिया गया।

अप्रार्थी सं. 7 व 8 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा सं. 401/9 मौजा मेघवालों का तला, पटवार क्षेत्र शौभाला जैतमाल की एकतरफा नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन मनगढ़ंत व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के मध्य वक्त सेटलमेंट की माठें व कणे आदि बने हुए हैं तथा वर्षों पुराने पेड़–पौधे लगे हुए हैं जिस कारण सेढ़ें–माठों को आगे–पीछे करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा मौके पर ऑवरलेपिंग का मामला है तथा प्रार्थी विप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि को [illegible] चाहता है। विप्रार्थी सं. 7 व 8 द्वारा कभी भी प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने [illegible] नहीं किया गया तथा विप्रार्थी सं. 7 व 8 अपने कब्जे काश्त की भूमि पर [illegible] भूमि के चारों तरफ वक्त सेटलमेंट से कदीमी माठें व सेढ़े अवस्थित है तथा प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की पेमाईश नहीं करवाई गई है तथा बिना पेमाईश करवाए ही नेखमबंदी का आवेदन पेश किया गया है जो आवेदन विधि–विरुद्ध होने से खारिज किए जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने शपथ–पत्र के माध्यम से प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 401/9 रकबा 4.8562 हैक्टेयर किस्म बारानी

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

06.12.22

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.01.30 15:19:50 IST
Reason: SelfAttested

सोयम की नेखमबंदी की जावे, साथ ही हमने पटवारी हल्का की सीमाज्ञान रिपोर्ट का अध्ययन किया, उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आराजी के मौके पर सीमाज्ञान के विवाद की वजह से सीमाज्ञान नहीं करवाया जा सका, सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं. 419/2 व 401/9 के खातेदारों के मध्य आपसी सीमा विवाद के चलते सीमाज्ञान नहीं करवाया जा सका। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 7 व 8 तथा सीमाज्ञान की मौका फर्द के समग्र अध्ययन से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खसरा सं. 401/9 रकबा 4.8562 हैक्टेयर बारानी सोयम की हद तक प्रार्थीगण के प्रार्थना को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिए जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी राजस्व मौजा–मेघवालों का तला, पटवार हल्का–शौभाला जैतमाल, तहसील–धोरीमन्ना के खसरा सं. 401/9 रकबा 4.8562 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा सं. 401/9 रकबा 4.8562 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

06/12/22

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 06/12/2022 **को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।**

06/12/22

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.01.30 15:19:50 IST
Reason: SelfAttested